

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या - ९१ /NG/2021/Engg/SPJ

श्री नवीन कुमार, पुत्र स्व० मनोज राम, पद TM-IV, जीपी- 1800, लेवल-01 अधीन सिसेई/पीवे/सीवान(पूर्व), वाराणसी मंडल/पूर्वोत्तर रेलवे एवं श्री श्याम कुमार पंडित, पुत्र श्री राम किशुन पंडित, TM-IV, जीपी- 1800, लेवल-01 अधीन सिसेई(पीवे)/बापूधाम मोतिहारी, समस्तीपुर मंडल/पूमरे, के साथ वाराणसी मंडल के पत्र सं०- NER-BSBoPers(MUTL)/4/2020-O/o Sr.DPO/BSB/NER, दिनांक- 25.09.2020 तथा इस मंडल के पत्र सं०- का/283/ईजी०/ज०वि०प्र०/पार०स्था०/अं०रे०/सम०/2019, दिनांक 12.10.2020 के द्वारा अन्तर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृत है।

श्री नवीन कुमार, वाराणसी मंडल के पत्र संख्या:- का/डब्लू/283/पा.स्था/NER-ECR/भाग-06 दिनांक 24/25.02.2021, द्वारा विरमित होकर इस कार्यालय में पदस्थापना हेतु दिनांक 01.03.2021 को रिपोर्ट किये हैं, को TM-IV जीपी- 1800, लेवल-01 के पद पर सिसेई(पीवे)/बापूधाम मोतिहारी के अधीन पदस्थापित किया जाता है। कर्मचारी दिनांक 01.03.2021 से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक प्रतीक्षारत रहे हैं।

उक्त स्थानान्तरण पारस्परिक अनुरोध पर है अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

श्री श्याम कुमार पंडित, पुत्र श्री राम किशुन पंडित, TM-IV जीपी- 1800, लेवल-01 अधीन सिसेई(पीवे)/बापूधाम मोतिहारी, इस कार्यालय के पत्र सं०- का/283/ईजी०/ज०वि०प्र०/पार०स्था०/अं०रे०/सम०/2019, दिनांक 21.12.2020 के द्वारा वाराणसी मंडल हेतु विरमित किये जा चुके हैं।

श्री नवीन कुमार, का फोटो हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



नवीन कुमार



(रतन राकेश लकड़ा)

मकाधि

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

सं०- का/283/ईजी०/ज०वि०प्र०/पार०स्था०/अं०रे०/सम०/2019

दिनांक 02.03.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मरेप्र(कार्मिक)/वाराणसी मंडल/पूर्वोत्तर रेलवे - कृपया उपरोक्त कर्मचारी का सेवा अभिलेख एवं LPC विधिक्षणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजे।
2. वमई(समन्वय)/समस्तीपुर।
3. वमविप्र./समस्तीपुर।
4. समई/बापूधाम मोतिहारी
5. सिसेई(पीवे)/बापूधाम मोतिहारी - कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दे।
6. मुकार्याधी/इंजी० संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
7. मुकार्याधी/इंजी० बिल
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो०/सम० मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी- समई/बापूधाम मोतिहारी के यहाँ रिपोर्ट करे।
10. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)

समस्तीपुर
अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर